

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त ज़िलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2016

विषय: प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/
ई—सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई—डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा वाणिज्य कर
विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जन सामान्य को किफायती, पारदर्शी
एवं सहज—सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान
में वाणिज्यकर विभाग की ई—रजिस्ट्रेशन एवं ई—रिटर्न सेवायें प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों
एवं विभाग द्वारा अधिकृत सुविधा केन्द्रों (Facilitation Centres) के माध्यम से प्रदान की जा
रही हैं।

2— उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त वाणिज्य कर विभाग की निम्न सेवाओं को
ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया
है:—

क्रम संख्या	सेवायें
1.	ई—रजिस्ट्रेशन
2.	ई—रिटर्न

3— वाणिज्य कर विभाग की चयनित सेवाओं को ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के
उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई—सुविधा केन्द्रों पर आम
नागरिकों से नीचे सारिणी में वर्णित प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये

स्तम्भ—5 के अनुसार यूज़र चार्ज लिया जायेगा, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् होगा:—

(धनराशि रूपये में)

S.No	Name of Service	VLE Share (70%)	DSP Share (10%)	DeGS Share (10%)	CeG Share (10%)	Total (1+2+3+4)
		1	2	3	4	5
1	e-Registration (Data Punching charges for online application for registration) (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र की डाटा पंचिंग की दरें)	21	3	3	3	30
2	e-Return (Data Punching charges for main form of the return) (ई-रिटर्न के मुख्य फार्म की डाटा पंचिंग की दरें)	21	3	3	3	30
3	e-Registration/e-Return uploading charges (ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न अपलोडिंग की दरें)	35	5	5	5	50
4	Downloading charges (डाउनलोडिंग की दरें)	20	0	0	0	20
5	Receipt printing charges (रिसिप्ट प्रिन्टिंग की दरें)	5	0	0	0	5
6	Printing charges B/W (A4) per page (प्रिन्टिंग की दरें B/W (A4) प्रति पेज	3	0	0	0	3
7	Data Punching charges for annexures per row (अनुलग्नक में प्रतिलाइन डाटा पंचिंग की दरें)	1	0	0	0	Total=no of rows*1

4— अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूज़र चार्जें लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र ऑपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूज़र चार्जें की शेयरिंग लागू नहीं होंगी।

5— वाणिज्य कर विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी./एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।


6. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्लाइन्ट्स यथा—जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी

सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा—इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गई है।

7. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र ऑपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिये प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

8. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

9. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या—548(1) / 11-2-16—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. कमिशनर वाणिज्यकर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
5. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. हेड, एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।